(7)

प्रकरण सं0 189/2015
अमरसिंह बनाम गुदठल आदि
निर्णय दिनांक: 03.01.2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दौसा

पीठासीन अधिकारी:	संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या:	189/2015
दायर दिनांक:	19.11.2015
निर्णय दिनांक:	03.01.2023

उनवान

1. अमरसिंह पुत्र बदरी जाति गुर्जर निवासी रलावता तह0 व जिला दौसा।
2. सुरेश पुत्र बदरी जाति गुर्जर निवासी रलावता तह0 व जिला दौसा।

वादीगण

बनाम

1. गुद्ठल पुत्र गंगाधर जाति गुर्जर निवासी रलावता तह0 व जिला दौसा।
2. हरिसिंह पुत्र गंगाधर जाति गुर्जर निवासी रलावता तह0 व जिला दौसा।
3. रोशनलाल पुत्र गंगाधर जाति गुर्जर निवासी रलावता तह0 व जिला दौसा।
4. देवनारायण पुत्र रामनाथ जाति गुर्जर निवासी रलावता तह0 व जिला दौसा।
5. रमेश पुत्र रामनाथ जाति गुर्जर निवासी रलावता तह0 व जिला दौसा।
6. पांची बेवा बदरी जाति गुर्जर निवासी रलावता तह0 व जिला दौसा।
7. उगन्ती देवी पत्नि जयसिंह जाति गुर्जर निवासी रलावता तह0 व जिला दौसा।
8. नीरू पुत्री जयसिंह नाबालिग जरिए प्राकृतिक संरक्षिका माता उगन्ती देवी पत्नि जयसिंह जाति गुर्जर निवासी रलावता तह0 व जिला दौसा।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा।

प्रतिवादीगण

दावा दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा–136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम–1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 8 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 29, 63, 70, 193, 199, 308, 311, 321, 365, 366, 369, 370, 379, 409, 420, 421, 566, 571, 575, 578, 626, 917, 922, 941, 943, 960 कुल किता 26 कुल रकबा 8.63 है0 ग्राम रलावता में स्थित है। वर्तमान जमाबंदी में वादी अमरसिंह का नाम लोहड्या व वादी सुरेश का नाम धर्मसिंह गलत अंकित हो रहा है, जिसकी दुरूस्ती हेतु यह वाद न्यायालय में पेश किया जा रहा है। दिनांक 1.2.83 को खाता संख्या 94 में वादीगण के पिता बदरी के वारिसान में ए.एस.ओ. द्वारा वादी अमरसिंह का नाम [illegible] व वादी सुरेश का नाम धर्मसिंह गलत तौर से अंकित कर दिया था। जिसकी जानकारी वादीगण को नहीं हो सकी। उक्त अंकन के आधार पर ही वर्तमान जमाबंदी में भी वादीगण का नाम गलत दर्ज हो रहा है। वादीगण ग्रामीण परिवेश के लोग हैं तथा अपनी भूमि पर बिना किसी रोक–टोक के काश्त करते आ रहे है। वादीगण को नाम गलत अंकन हो जाने की कोई जानकारी नही हो सकी। अब कुछ समय पहले पटवारी हल्का के पास जमाबन्दी की नकल लेने गये तो मालूम चला कि वादीगण का नाम

लगातार ....2....

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:49:09 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)